न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 18/2017

1 रूकमा पुत्री जीवण पत्नी किशोर कुमार उम्र 29 वर्ष जाति कुम्हार निवासी अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल आबाद ससुराल रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 हाबुड़ा उर्फ भागचन्द दत्तक पुत्र सुण्डाराम।
2 हीरा देवी पत्नी चिमनाराम।
3 मदनलाल पुत्र चिमनाराम।
4 भगवाना पुत्र पोखर।
5 आसला पुत्र पोखर समस्त जाति कुम्हार निवासीगण अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 उप पंजीयक पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 कमलेश पुत्र जीवण।
9 पप्पू पुत्र जीवण।
10 रामपाली पत्नी जीवण समस्त जाति कुम्हार निवासीगण अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2017
बउनवानी वाद हाबुड़ा आदि बनाम जीवण आदि
मुकदमा नम्बर 281/2003 न्यायालय सहायक कलेक्टर
मु0 सीकर पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत
आर.ए.एस. अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम

अपील संख्या 22/2017

1 भगवाना पुत्र पोखर।
2 आसला पुत्र पोखर समस्त जाति कुम्हार निवासीगण अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हाबुड़ा उर्फ भागचन्द दत्तक पुत्र सुण्डाराम।
2 हीरा देवी पत्नी चिमनाराम।
3 मदनलाल पुत्र चिमनाराम।
4 उप पंजीयक पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 कमलेश पुत्र जीवण।
7 पप्पू पुत्र जीवण।
8 रूकमा पुत्री जीवण पत्नी किशोर कुमार उम्र 29 वर्ष जाति कुम्हार निवासी अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल आबाद ससुराल रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9 रामपाली पत्नी जीवण समस्त जाति कुम्हार निवासीगण अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2017
बउनवानी वाद हाबुड़ा आदि बनाम जीवण आदि
मुकदमा नम्बर 281/2003 न्यायालय सहायक कलेक्टर
मु0 सीकर पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत
आर.ए.एस. अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 02.03.2020

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 281/2003 में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीले एक ही निर्णय के विरूद्व होने से एवं पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में प्रथक—प्रथक रखी जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने जीवण, भगवाना, आसला, मदन के विरूद्व ग्राम अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 34,1064,1068, 1071/1164 बाबत दावा उदघोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड संशोधन प्रस्तुत कर विवादित भूमि में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से, वादीनी संख्या 2 तथा प्रतिवादी संख्या 4 को संयुक्त 1/4 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को संयुक्त 1/4 हिस्से का काबिज खातेदार उदघोषित किया जाकर वादग्रस्त भूमियों का पक्षकारों के मध्य विधिवत रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस बंटवारा किया जाकर अपने हक हिस्से के अनुसार एकाकी कब्जा काश्त खाता एवं लगान निर्धारित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की इस्तदुआ की है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 6 बावजुद सूचना हाजिर नही आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की और से जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद खारिज करने की इस्तदुआ की है। विचारण न्यायालय ने वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर 6 तनकीयात कायम की एवं बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 जीवण की पुत्री रूकमा की और से अपील संख्या 18/2017 धारा 96 सीपीसी के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की और से अपील संख्या 22/2017 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वाद में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया व वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 ने मृत व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 1 जीवण के विरूद्व अदालत मातहत ने निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली। वादग्रस्त कृषि भूमियों में अपीलांट का हित निहित है इसलिए अपीलांट अपील प्रस्तुत कर रही है तथा चुनौतीग्रस्त निर्णय व डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

से अपीलांट व्यथित है इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री कायम रहने की दशा में अपीलांट को गम्भीर आर्थिक/साम्पत्तिक क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है इसलिए अपीलांट को अपना पक्ष रखने के लिए अपील प्रस्तुति के लिए धारा 96 सीपीसी के तहत अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 1 जीवण का देहान्त दौराने दावा दिनांक 12.02.2015 को हो गया विचारण न्यायालय में विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्व विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो अकृत व अवैध है। दुलाराम अविवाहित फौत नहीं हुआ था। स्व. दुलाराम ने स्व. मंगला की विधवा अणची से शादी कर ली थी तथा उस विवाह से अणची व दुलाराम के एक लड़की नानूड़ी पैदा हुई थी जो फौत हो चुकी है। उक्त नानूड़ी के तीन पुत्र कमशः रामेदव, जगदीश, सोहन तथा तीन लड़कियां पैदा हुई। नानूड़ी का विवाह दांतारामगढ़ में स्व. भागीरथ से हुआ था। इस प्रकार स्व. दुलाराम की मृत्यु के समय उसके वैध वारिस मौजूद थे तथा दुलाराम के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 के पूर्वज कालिया उर्फ कालूराम नहीं था किन्तु अदालत मातहत ने दुलाराम को कुंवारा फौत मानकर तनकी संख्या 1 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्व करने में भारी भूल की है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की साक्ष्य से तथा वादीगण की साक्ष्य से हुई जिरह से भी यह भली भांति साबित है कि दुलाराम कुंवारा व नाऔलाद फौत नहीं हुआ बल्कि दुलाराम ने अणची से शादी की थी तथा उससे एक लड़की नानूड़ी भी पैदा हुई थी इस कारण दुलाराम के विधिक वारिसान उसकी पुत्री नानूड़ी व बेवा अणची वारिस थे तथा पोखर भी उक्त कारण वारिस है। साक्ष्य से स्व. दुला की वारिस उसकी पुत्री नानूड़ी होना प्रमाणित है तथा उक्त नानूड़ी को वाद में पक्षकार न बनाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। वादग्रस्त भूमियों पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त न तो पहले था तथा न ही अब है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के कब्जे, अधिकार, आधिपत्य की भूमियां है किन्तु अदालत मातहत ने तनकी संख्या 4 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्व करने में भारी भूल की है। वादीगण द्वारा पूर्व में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रस्तुत वाद मुकदमा संख्या 398/1995 बउनवानी हीरा देवी बनाम जीवण दिनांक 14.08.2000 को खारिज हो गया तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुकदमा नम्बर 148/1998 उनवानी जीवण बनाम भागचन्द बाबत निषेधाज्ञा स्वीकार किया गया था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.05.2006 को प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट रूकमा के पिता जीवण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। दिनांक 11.07.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 जीवण के आवेदन को स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 जीवण को दावे की आगे की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमती दी गई है। दिनांक 11.07.2013 के पश्चात विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में दिनांक 24.07.2013, 29.08.2013, 30.09.2013, 30.10.2013, 08.01.2014, 18.03.2014, 26.05.2014, 27.06.2014, 23.07.2014, 05.09.2014, 14.10.2014, 24.11.2014, 16.01.2015, 10.03.2015, 17.04.2015, 26.05.2015, 08.07.2015, 13.08.2015, 06.10.2015, 20.11.2015, 22.12.2015, 29.01.2016, 15.02.2016, 28.03.2016, 18.05.2016, 14.07.2016, 12.08.2016, 06.09.2016, 22.09.2016, 28.10.2016, 08.12.2016, 10.01.2017, 24.01.2017, 07.02.2017, 14.02.2017, 15.02.2017 एवं 17.02.2017 की कुल 37 तारिख पेशीयां नियत हुई है। इन तारिख पेशियों में से किसी भी तारिख पेशी पर प्रतिवादी संख्या 01 जीवण की और से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है। दिनांक 24.07.2013 को जीवण की और से साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें दिनांक 27.06.2014 को वादी की और से जिरह की गई है। दिनांक 27.06.2014 को जीवण की उपस्थिति न्यायालय में रही है एवं उनके अधिवक्ता श्री कैलाश स्वामी जरिये वकालत नामा वाद में हाजिर रहे है। दिनांक 27.06.2014 के उपरान्त 29 तारिख पेशीयां विचारण न्यायालय में दावे में नियत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इस दौरान प्रतिवादीगण संख्या 1 जीवण के अधिवक्ता अथवा शेष प्रतिवादीगण की और से जीवण की मृत्यु की सूचना न्यायालय में नही दी गई है। विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 जीवण के वारिसान अथवा अपील संख्या 22/2017 के अपीलांट भगवाना व आसला ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रतिवादी संख्या 1 जीवण की मृत्यु का तथ्य विचारण न्यायालय के संज्ञान में आया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने की दिनांक 27.06.2014 के उपरान्त वाद में कोई चाराजोही नही की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व नही माना जा सकता है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजो का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। गुणावगुण के सन्दर्भ में अपील के स्तर पर अपीलांट ने कोई साक्ष्य एवं कथन प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.05.2006 को प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट रूकमा के पिता जीवण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। दिनांक 11.07.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 जीवण के आवेदन को स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 जीवण को दावे की आगे की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमती दी गई है। दिनांक 11.07.2013 के पश्चात विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में दिनांक 24.07.2013, 29.08.2013, 30.09.2013, 30.10.2013, 08.01.2014, 18.03.2014, 26.05.2014, 27.06.2014, 23.07.2014, 05.09.2014, 14.10.2014, 24.11.2014, 16.01.2015, 10.03.2015, 17.04.2015, 26.05.2015, 08.07.2015, 13.08.2015, 06.10.2015, 20.11.2015, 22.12.2015, 29.01.2016, 15.02.2016, 28.03.2016, 18.05.2016,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14.07.2016, 12.08.2016, 06.09.2016, 22.09.2016, 28.10.2016, 08.12.2016, 10.01.2017, 24.01.2017, 07.02.2017, 14.02.2017, 15.02.2017 एवं 17.02.2017 की कुल 37 तारिख पेशीयां नियत हुई है। इन तारिख पेशियों में से किसी भी तारिख पेशी पर प्रतिवादी संख्या 01 जीवण की और से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है। दिनांक 24.07.2013 को जीवण की और से साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें दिनांक 27.06.2014 को वादी की और से जिरह की गई है। दिनांक 27.06.2014 को जीवण की उपस्थिति न्यायालय में रही है एवं उनके अधिवक्ता श्री कैलाश स्वामी जरिये वकालत नामा वाद में हाजिर रहे है। दिनांक 27.06.2014 के उपरान्त 29 तारिख पेशीयां विचारण न्यायालय में दावे में नियत की गई है। इस दौरान प्रतिवादीगण संख्या 1 जीवण के अधिवक्ता अथवा शेष प्रतिवादीगण की और से जीवण की मृत्यु की सूचना न्यायालय में नही दी गई है। विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 जीवण के वारिसान अथवा अपील संख्या 22/2017 के अपीलांट भगवाना व आसला ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रतिवादी संख्या 1 जीवण की मृत्यु का तथ्य विचारण न्यायालय के संज्ञान में आया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने की दिनांक 27.06.2014 के उपरान्त वाद में कोई चाराजोही नही की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस स्तर पर इस बिन्दु का कोई लाभ लेने के अधिकारी नही पाये जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व नही माना जा सकता है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजो का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। गुणावगुण के सन्दर्भ में अपील के स्तर पर अपीलांट ने कोई साक्ष्य एवं कथन प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 34,1064,1068 व 1071/1164 पुराने खसरा नम्बर 22/1, 424, 421/492 थे। वाद पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित कुर्सीनामा में पीथाराम के वादीगण एवं प्रतिवादीगण उत्तराधिकारी है। दौराने दावा कथन आया है कि दुला व माधु नाऔलाद खत्म हो गये। मंगला का पुत्र पोखर है तथा पोखर के जीवण, भगवाना, आसला व रूड़ी वारिस है। रूड़ी खत्म हो गई। कालू के सूण्डाराम व चिमनाराम हुए। सूण्डाराम के औलाद न होने पर हाबुला उर्फ भागचन्द को गोद लिया, जिस बाबत वादी ने गोदनामा की प्रति पेश की है। हीरादेवी, छीतर, हाबुड़ा, मदनलाल, चिमना के वारिस है, लेकिन हाबुड़ा सुण्डाराम के गोद चला गया। विवादित भूमि दुला के नाम थी। दुला कुंवारा ही फौत हुआ तो उसकी भूमि पीथा के वारिस कालू तथा मंगला के वारिस के 1/2,1/2 के हिस्से का नामान्तकरण होना चाहिए था। प्रतिवादी ने बताया कि मंगला की पत्नी अणची ने दुला की चूड़ी पहन ली थी व पोखर जो मंगला का पुत्र था वह दुल्हा के यहां अणची के साथ चला गया। परन्तु पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह सिद्व हो कि मंगला की पत्नी अणची ने मंगला की मृत्यु होने पर दुला की चूड़ी पहन ली। रूड़ी पत्नी पोखर ने भी जिरह में स्वीकार किया कि दुला कुंवारा फौत हुआ था। पत्रावली में इस बात का कोई रिकार्ड नहीं है कि मंगला की पत्नी अणची दुला के नाते गई थी। राजस्व कार्मिकों ने नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 08.06.1964 को दुला की विरासत अकेले पोखर के नाम पर दर्ज की है, यदि अणची दुला के नाते गई होती तो दुला की विरासत में अणची का नाम पोखर के साथ आता। प्रतिवादीगण के अनुसार अणची ने दुला की चूड़ी पहनी एवं उसे एक पुत्री नानूड़ी हुई, इसका पत्रावली में कोई रिकार्ड नही है, जिससे साबित होता हो कि अणची ने मंगला की मृत्यु के बाद दुला से पुनविवाह किया हो। इससे स्पष्ट है कि दुला कुंवारा ही फौत हो गया था। गिरदावरी संवत 2009–2033 तक की काश्त वादी व प्रतिवादी की वाद पत्र में दर्ज 1/2 हिस्से के अनुसार दर्ज है। अत राजस्व रिकार्ड एवं प्रतिवादी संख्या

प्रभारी अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 ता 3 की माता रूड़ी के द्वारा जिरह से भी सिद्व होता है कि दुला कुंवारा ही फौत हो गया था तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता पोखर उसकी जायंदा औलाद नहीं है। जवाब दावा में भी पोखर को मंगला का पुत्र माना है। विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के इस विवेचन से विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री पूर्णतया विधि सम्मत पाया जाता है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर